संख्या-13/2017/5943/26-3-2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज,
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 25 जनवरी, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-385/भा0भ0/2016-17 दिनांक-15.11.2016 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में मानक मद सं0-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में रू0-11.00 लाख, मद सं0-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद में रू0-0.50 लाख, मद सं0-08-कार्यालय व्यय में रू0-0.50 लाख अर्थात पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल **धनराशि रू0-12.00 लाख (रूपये बारह लाख मात्र)** की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता मद में बचत की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, समाज कल्याण का होगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(३) उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(4) उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही कर लिया जाय।

(6) जिन मदों में भुगतान प्रस्तावित है, प्रश्नगत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'' 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-17-छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की स्थापना-08-कार्यलय व्यय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल खरीद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-/111/ दस-2017, दिनांक-16 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

संख्या-13/2017/5943/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2
5- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–छत्रपति शाहू जी महराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ वित्तीय वर्ष 2016–17

(रूपये हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में (आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–						2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–					
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण						01–अनुसूचित जातियों का कल्याण					
277–शिक्षा						277–शिक्षा					
17–छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की स्थापना						17–छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की स्थापना					
01–वेतन	3940	2300	400	400	3540	08–कार्यालय व्यय	300	350	50	50	350
03–मंहगाई भत्ता	5358	3297	800	800	4558	15–गाडियों का अनुरक्षण/पेट्रोल खरीद	450	500	50	50	500
						16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2300	3400	1100	1100	3400
योग	9298	5597	1200	1200	8098		3050	4250	1200	1200	4250

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–टंकण की त्रुटि के कारण पुनर्विनियोग द्वारा अधिक धनराशि आवंटित हो जाने के कारण बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–संस्थान के 10 रिक्त पदों पर सैनिक कल्याण निगम से संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के भुगतान हेतु एवं संविदा पर संचालित सफाई व्यवस्था के भुगतान हेतु ।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–372/ई–3– 111 /दस–2017 दिनांक–16 जनवरी, 2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(राम सुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या– 13 /2017/5943/(1)/26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।